अध्याय XIV- लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसईज़ द्वारा वसूलियां और सुधार/ संसोधन

एयर इंडिया लिमिटेड, नॉर्दन कोलफील्डस लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मद्रास फटीलाइर्जस लिमिटेड, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, आरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

14.1 लेखापरीक्षा द्वारा पर वसूलियां

9 सीपीएसई से संबंधित 10 मामलों में, लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट ₹80.60 करोड़ की राशि वसूली के कारण थी। सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा 2018-19 के दौरान ₹51.43 करोड़ की राशि वसूल की गई जिसके ब्यौरे **परिशिष्ट-I** में दिए गए है।

राष्ट्रीय कैमीकल एंड फर्टीलाइर्जस लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील ॲथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

14.2 लेखापरीक्षा द्वारा बताए मामलो में सुधार/ संसोधन

नमूना जांच के दौरान, नियमों/ विनियमों के उल्लंघन और प्रणाली में कमियों से संबंधित मामले देखे गए और प्रबंधन के ध्यान में लाए गए। उन मामलों का विवरण जहां लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट करने पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी या उनके नियमों/ विनियमों आदि में प्रबंधन द्वारा परिवर्तन किए गए थे जो **परिशिष्ट-II** में दिए गए हैं।